तीसरा ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2013

ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन (आईसीसी) प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मेलनों में से एक है। ब्रिक्स देशों में प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार करने और पूर्व के दो सम्मेलनों से आगे बढ़ते हुए ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के बीच सहयोग की कार्यसूची पर विचार करने के उद्देश्य के साथ तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में 20–22 नवंबर 2013 को आयोजित किया गया। पूर्व में दो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कज़ान, रूस और पेइचिंग, चीन में आयोजित किये गये थे।

सम्मेलन का उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन और प्रापण हेतु बाज़ारों के उदारीकरण के बीच पूरकता की पहचान किये जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने प्रतिस्पर्धा तटस्थ नीतियों के अनुकूलन के महत्व को रेखांकित किया। अनावश्यक बाधाओं को हटाकर और बेहतर निविदा डिज़ाइन तथा विशिष्टता से प्रभावी प्रतिस्पर्धा के लिए संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है, जिससे बोली में हेराफेरी अधिक मुश्किल हो जाएगी।

ब्रिक्स देशों ने अपनी मेक्रोइकोनोमिक्स स्थितियों और भिन्न सांस्थानिक शक्तियों के अनुरूप भिन्न–2 विकास पथों को चुना है। मज़बूत और सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य के साथ, उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि विकास को समर्थन देने के प्रति वचनबद्धता अपनाई है। इसकी आशा 2011 की सान्या घोषणा में यथा उल्लिखित वर्धित आर्थिक, वित्त और व्यापार सहयोग के जरिए की जाती है। इसे बनाए रखते हुए ब्रिक्स का एक संस्थान के तौर पर सतत विकास जारी रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–2 स्तरों पर सहयोग के लिए संरचना का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण दो समझौतों पर काम जारी है जिनसे ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना और एक आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था कायम की जा सकेगी।

ब्रिक्स में प्रतिस्पर्धा वास्तुकला

ब्रिक्स देशों में अपने व्यापार व्यवहारों में कई समानताएं और अपने घरेलू कार्याधिकार क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की चुनौतियां हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों से शुरू करते हुए, उन्होंने प्रभावी प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाएं कायम की हैं और अपनी स्वयं की स्थानीय प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत और चीन में अपेक्षाकृत नए प्रतिस्पर्धी कानून हैं और काफी नये कार्यक्षेत्र हैं। ब्राज़ील, रूस और दक्षिण अफ्रीका में उनके मूल कानूनों के लिए महत्वपूर्ण आवधिक कानूनी उन्नयन किया गया है। इन सभी ने एक थोड़े से समय में ही कार्टेल–विरोधी उपायों को अपनाया है और सभी ने उदार कार्यक्रमों को लागू किया है। ये सभी विलय नियंत्रण प्रावधानों को कड़ाई से लागू कर रहे हैं। इन सभी में एकतरफा आचरण प्रावधान हैं। ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के मूल और संरचनाओं का नीचे संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया हैः

ब्राज़ील

वर्ष 1994 में, ब्राज़ील में एक नया कानून ब्राज़ील प्रतिस्पर्धा नीति प्रणाली (बीसीपीएस) बनाया गया जिसमें तीन एजेंसियां शामिल की गईंः न्याय मंत्रालय में आर्थिक रक्षा हेतु पुनर्गठित प्रशासनिक परिषद (सीएडीई), आर्थिक विधि कार्यालय (एसडीई), और वित्त मंत्रालय में आर्थिक निगरानी हेतु सचिवालय। अक्तूबर 2011 में, ब्राज़ील कांग्रेस ने एक नया अविश्वास और अनुचित प्रतिस्पर्धा कानून को अनुमोदित किया, जो 29 मई, 2012 से प्रभावी हो गया। ब्राज़ील की प्रतिस्पर्धा प्रणाली 2012 में व्यापक पुनर्गठन के दौर से गुजरी। अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों के अनुरूप ब्राज़ील में नई प्रतिस्पर्धा संरचना, बहुप्रणाली में कमी

लाने, विलय समीक्षा को त्वरित करने और कानूनी व्यवस्था मज़बूत करने तथा ब्राज़ील की प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन प्रणाली में योगदान करने के वास्ते एक जटिल त्रि–एजेंसी संरचना से एकल स्वायत्त संस्था बनाए जाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया।

रूस

रूसी प्रतिस्पर्धा कानून के विकास का आधुनिक चरण ''प्रतिस्पर्धा के संरक्षण'' पर कानून अर्थात जुलाई, 2006 के संघीय कानून सं.135–एफजेड कानून के साथ शुरू हुआ था। वर्ष 2009 में प्रतिस्पर्धा कानून में ''द्वितीय एकाधिकार विरोधी पैकेज'' के साथ सुधार किये गये जिसमें कार्टेल विरोधी प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन से संबंधित सबसे नवीनतम संशोधन को ''तृतीय एकाधिकार पैकेज'' के नाम से जाना जाता है जो कि जनवरी 2012 से लागू किया गया। प्रतिस्पर्धा पर रूसी संघीय कानून के प्रवर्तन की जिम्मेदारी संघीय एकाधिकार विरोधी सेवा (एफएएस) पर और यह अधिकृत संघीय कार्यकारी संस्था है। विलय नियंत्रण प्रतिस्पर्धा कानून के जरिए किया जाता है और अधिकतर प्रक्रिया संबंधी मुद्दे एफएएस के दिशानिर्देशों और डिक्रीज द्वारा विनियमित होते हैं।

भारत

भारत विकासशील देशों में पहला देश था जिसमें एकाधिकार एवं सीमित व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969 के रूप में एक प्रतिस्पर्धा कानून बनाया गया था। 1991 में आर्थिक सुधार लागू होने के साथ ही इस कानून को बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त पाया गया। अतः भारतीय संसद ने भारत में नये प्रतिस्पर्धी युग की स्थापना के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (यहां इसके उपरांत अधिनियम) अधिनियमित किया गया। इस कानून में 2007 में संशोधन किया गया। भारत में अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई। एकाधिकार एवं सीमित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 को निरसित कर दिया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। आयोग के रोज़मर्रा के कामकाज का समन्वय सचिव के नेतृत्व में एक सचिवालय करता है। आयोग के अन्वेषण विभाग को महानिदेशक का कार्यालय पुकारा जाता है जो आयोग के निर्देश पर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन के मामलों की जांच करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संरचनात्मक ढांचे में विभिन्न प्रभागः एडवोकेसी, एंटी–ट्रस्ट, क्षमता निर्माण, संयोजन, आर्थिक, अन्वेषण, विधिक और प्रशासन तथा समन्वय शामिल होते हैं। इन प्रभागों का संचालन अत्यधिक योग्य विशेषज्ञों का संवर्ग करता है।

अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) पर प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को हटाने, बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन और इसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और भारतीय बाज़ारों में अन्य भागीदारों द्वारा संचालित व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। अधिनियम के तहत सीसीआई के पास अन्वेषण करने और भारी दंड लगाने की शक्तियां हैं। सीसीआई का स्वयं के लिए संलग्नता और प्रवर्तन के जरिए एक प्रतिस्पर्धी संस्कृति को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने का दृष्टिकोण है जिससे मुक्त, प्रतिस्पर्धी और नवाचारी व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा; उपभोक्ता कल्याण में वृद्धि होगी; और आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा।

चीन

चीन का एकाधिकार विरोधी कानून, अथवा एएमएल अगस्त, 2008 में प्रभावी हुआ। एएमएल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य परिषद ने एकाधिकार विरोधी आयोग की

स्थापना की, जिस पर चीन में एकाधिकार विरोधी प्रयासों के संयोजन और निर्देशन की ज़िम्मेदारी है। चीन में तीन मुख्य सरकारी संगठन हैं जो प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन में भूमिका निभाते हैं। ये हैं: वाणिज्य मंत्रालय, सरकारी उद्योग एवं वाणिज्य प्रशासन (एसएआईसी) और राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग (एनडीआरसी). ये तीनों सरकारी संस्थाएं अब एएमएल प्रवर्तन विभाग में स्थिति हैं।

दक्षिण अफ्रीका

यहां एक आधुनिक कानून, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 1988 वर्ष 1999 से प्रभावी हुआ। इस कानून से देश के प्रतिस्पर्धा कानून में आमूलचूल सुधार आया और इससे श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों की शक्तियां काफी सुदृढ़ हुईं। निर्णय लेने का अधिकार मंत्री से ले लिया गया और एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। सामान्य प्रतिस्पर्धा कानून और अन्य विनियामक संस्थाओं के बीच संबंध को स्पष्ट करने के भाग के तौर पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम को वर्षन 2000 में संशोधित कर दिया गया।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत तीन संस्थाएं स्थापित की गईं जो कि इसके अनुप्रयोग में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं:

(क) प्रतिस्पर्धा आयोग
(ख) प्रतिस्पर्धा ट्रिब्यूनल
(ग) प्रतिस्पर्धा अपील न्यायालय

आर्थिक विकास विभाग प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा ट्रिब्यूनल के कार्य का मार्ग निर्देशन करता है।

ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारों को रोकने और समाप्त करने, मुक्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने और घरेलू अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अपने कार्याधिकार क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के बीच समानता के कई कारकों को देखते हुए ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के बीच निकट सहयोग से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों से संबंधित मुद्दों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे यह आशय निकलता है कि ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों को प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन के सभी क्षेत्रों में सक्रियता से लगातार सहयोग करना चाहिए। ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के सहयोग निर्गम को देखते हुए उन पर अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों द्वारा अपने राष्ट्रीय कार्याधिकार क्षेत्रों में विचार, अनुकूलन या दोहराने पर विचार किया जा सकता है। ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन की दुनिया में परिपक्व प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों और नवजात संगठनों के बीच के अंतर को पाटने का काम कर सकते हैं।

ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन (आईसीसी) के दौरान नवंबर 22, 2013 को ''दिल्ली समझौता'' के नाम से एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किये।

****

(प.सू.का. के सौजन्य से)